

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 2(8)2025 / 09151 / कार्मिक / प्रमुखसं /

दिनांक:-

विज्ञप्ति

राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के अनुसरण में समस्त ग्राह्य क्षेत्रीय वन अधिकारी-प्रथम/द्वितीय को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा-2025 दिनांक 24.11.2025 से 28.11.2025 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी:-

सारणी 01:- परीक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	परीक्षा दिनांक	समय	प्रश्न पत्र
1	24.11.2025	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	वन नियम एवं वन कानून(प्रथम प्रश्न पत्र)
2	25.11.2025	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	भू राजस्व प्रणाली एवं वन भू-अभिलेख (द्वितीय प्रश्न पत्र)
3	26.11.2025	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	कार्यालय विधि एवं लेखा प्रक्रिया (तृतीय प्रश्न पत्र)
4	27.11.2025	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	वनों की उपयोगिता एवं वन उपज (विशिष्ट तथा राज्य से संबंधित)(चतुर्थ प्रश्न पत्र)
5	28.11.2025	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	हिन्दी मुख्य (पांचवा प्रश्न पत्र)
		दोपहर 12.45 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक	हिन्दी श्रुति लेख (पांचवा प्रश्न पत्र)

सारणी 02:- परीक्षा कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.सं.	परीक्षा कार्यक्रम	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1	परीक्षा आवेदन ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.10.2025
2	छठे प्रश्न पत्र यथा सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु उप वन संरक्षक द्वारा ग्राम आंवटन आदेश जारी कर ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11.11.2025
3	रोल नम्बर एवं प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 14.11.2025
4	परीक्षा आयोजन तिथियाँ	दिनांक 24.11.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक
5	छठे प्रश्न पत्र यथा सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.12.2025
6	अंतिम परिणाम जारी करने की तिथि	जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में।
7	पुर्नमूल्यांकन के आवेदन की अंतिम तिथि	फरवरी 2026 का प्रथम सप्ताह में।
8	पुर्नमूल्यांकन पश्चात अंतिम परिणाम जारी करने की तिथि	फरवरी 2026 का अंतिम सप्ताह में।

विभागीय परीक्षा 2025 के संबंध में दिशा निर्देश:-

- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/द्वितीय के आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भरकर नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से कार्यालय निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर एवं परीक्षा अधीक्षक क्षेत्रीय विभागीय परीक्षा को दिनांक 30.10.2025 को साय: 5:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। अंतिम तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारी के पत्र के साथ ई-मेल द्वारा ई-मेल address **ccf.fti.forest@rajasthan.gov.in** पर भी दिनांक 30.10.2025 को साय: 5:00 बजे तक प्रेषित किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न प्रेषित (ई-मेल) के द्वारा प्रेषित करना अनिवार्य करना होगा।
4. हिन्दी प्रश्न पत्र में छूट चाहने वाले आवेदको को 10th बोर्ड अथवा 12th बोर्ड की अंक तालिका/बोर्ड सर्टिफिकेट जिसमें हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना ज्ञात हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. छठे प्रश्न पत्र हेतु ग्राम का आवंटन आदेश नियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी किया जाकर दिनांक 11.11.2025 से पूर्व निदेशक रा.वा.व.प्र.स.एवं परीक्षा अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
6. छठे प्रश्न पत्र हेतु प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरान्त मूल ही निदेशक रा.वा.व.प्र.स.एवं परीक्षा अधीक्षक कार्यालय को दिनांक 15.12.2025 से पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 15.12.2025 के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट को परीक्षा परिणाम हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।
7. परीक्षा तिथियों पर समस्त नियंत्रक अधिकारी आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पाबन्द करना सुनिश्चित करेंगे।
8. राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के नियम 8 के अंतर्गत पात्रता की जांच किये जाने के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/द्वितीय निर्धारित आवेदन प्रपत्र के समस्त वांछित बिन्दुओं यथा, मूल पदस्थापन, पदनाम, सेवा संवर्ग, पूर्व में उत्तीर्ण किये प्रश्न पत्रों व जिस प्रश्न पत्र में नियमानुसार छूट चाहते हैं आदि का तिथि युक्त उल्लेख करेंगे।
9. राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के नियम 19 के अन्तर्गत अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वर्षों में अधिकतम 3 प्रयास ही प्राप्त होने के क्रम में अभ्यर्थी आवेदन पत्र में पूर्व में शामिल विभागीय परीक्षाओं की पूर्ण सूचना अंकित करेंगे।

(पवन कुमार उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—एफ 2(8)2025/09151/कार्मिक/प्रमुवसं/

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को दी जाकर लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को संलग्न आवेदन पत्र व विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित करवाकर तिथियुक्त प्राप्ति रसीद प्राप्त करें एवं उन्हें विभागीय परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने हेतु पाबंद करें।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी वर्ष 2025 की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारियों के आवेदन पत्र परीक्षा अधीक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल address **ccf.fti.forest@rajasthan.gov.in** अथवा/डाक द्वारा दिनांक 30.10.2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की पुख्ता व्यवस्था करावे।
4. परीक्षा अधीक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

संलग्न :—आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर